



# STATE BANK OF INDORE

Industrial Finance Branch, Khel Prashal, Indore

## POSSESSION NOTICE Rule 8 (1) For Immovable Property

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the **State Bank of Indore**, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance 2002 (No.3 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 12 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated **23.02.09** calling upon the Borrower **M/s Socrus Pharmaceutical Pvt. Ltd.** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 9,13,08,829.69 (Rupees Nine Crore Thirteen Lacs Eight Thousand Eight Hundred Twenty Nine Paise Sixty Nine)** within 60 days from the date of Receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Ordinance read with Rule 8 of the said rules on the **28<sup>th</sup> day of May of the year 2009**. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge on the State Bank of Indore for an amount of **Rs. 9,13,08,829.69** and interest thereon.

### Description of Immovable Properties

- (1) Piece of leasehold land bearing Plot No. 252, Sector-1, Industrial Area, Pithampur, Dhar with all constructions thereon and machinery installed thereon belonging to **M/s Socrus Pharmaceutical Pvt. Ltd.** Boundaries: North: Sanctus Drug Nalla, East: 80' wide road, South: Plot No.253, West: Hill Area. Area: 5574.80 Sq.mtr.
- (2) Piece of leasehold land bearing Plot No. 253, Sector-1, Industrial Area, Pithampur, Dhar with all constructions thereon and machinery installed thereon belonging to **M/s Socrus Pharmaceutical Pvt. Ltd.** Boundaries: North: Plot No. 252, East: 24 Mtr. wide Road (Road No. 10), South: M/s DJ Laboratories, West: AKVN Nursery. Area: 3637.50 Sq.mtr.
- (3) Shop No. 1, Third Floor, Dawa Bazar 13-14, R.N.T. Marg, Indore with all construction thereon and furniture, fixture therein belonging to **Shri Rajeev Agnihotri**. Boundaries: North: Shop No. 2, Prakosth No. 2, East: Steers, South: Cafe House, West: Parking. Area: 1773 sq.ft
- (4) Piece of land bearing Plot No. 71, Shrinagar Extension, Indore with all construction and installation thereon and fixtures - fittings therein belonging to **Smt. Sunita W/o Kamal Narayan Mishra**. Boundaries: North: Backlane, East: Road, South: Road, West: Plot No. 70. Area: 3210 Sq.ft.
- (5) All the Part and parcel of the property consisting of Flat No. 5, Shrinivas apartment 8/2, South Tukoganj, Indore with fixtures and fittings therein belong to **Smt. Madhvi W/o Rajeev Agnihotri**. Boundaries: North: Prakosth No. 4, East: Open Area Prakosth No.3, South: Open Area there after Prakosth 6 and 7, West: Open Area.

Place : Indore,  
Date : 03.06.09

Authorised Officer, **State Bank of Indore**,  
Industrial Finance Branch, Indore



# स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

ओद्योगिक वित्त शाखा, खेल प्रशाल, इन्दौर

## अचल सम्पत्ति धारण सूचना नियम 8 (1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन द्वितीय अधिनियम की धारा 12(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 3) का सपठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणगृहिता मेसर्स सोक्रस फार्मास्यूटिकल प्रा.लि. को मांगनी करते हुए मांग सूचना पत्र दिनांकित 23.02.09 उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर रुपये 9,13,08,829.69/- (नौ करोड़ तेरह लाख आठ हजार आठ सौ उन्तीस रुपये व उनहत्तर पैसे) सूचना पत्र में उल्लेखित राशि को लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणगृहिता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणगृहिता और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन् नीचे वर्णित संपत्ती का आधिपत्य दिनांक 28, माह मई, वर्ष 2009 को ग्रहण कर लिया है। ऋणगृहिता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ती के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार रुपये 9,13,08,829.69/- (नौ करोड़ तेरह लाख आठ हजार आठ सौ उन्तीस रुपये व उनहत्तर पैसे) की राशि और उस पर ब्याज के लिये स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के प्रभार के अधीन होगा।

### अचल संपत्तियों का विवरण

- (1) लीज होल्ड जमीन का भाग, प्लाट नं. 252, सेक्टर-1, इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर (धार) और प्लाट पर किया गया समस्त निर्माण कार्य एवं मेसर्स सोक्रस फार्मास्यूटिकल प्रा.लि. के मालिकी हक की समस्त स्थापित मशीनरी। चतुर्सीमा : उत्तर : सेन्कट्स ड्रग नाला, पश्चिम : पहाड़ी इलाका, पूर्व : 80 फिट चौड़ा रोड़, दक्षिण : प्लाट नं. 253 क्षेत्रफल : 5574.80 वर्गमीटर
- (2) लीज होल्ड जमीन का भाग, प्लाट नं. 253, सेक्टर-1, इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर (धार) और प्लाट पर किया गया समस्त निर्माण कार्य एवं मेसर्स सोक्रस फार्मास्यूटिकल प्रा.लि. के मालिकी हक की समस्त स्थापित मशीनरी। चतुर्सीमा : उत्तर : प्लाट नं. 252, पश्चिम : एकेवीएन नर्सरी, पूर्व : 24 मीटर चौड़ रोड़ (रोड़ नं. 10), दक्षिण : मेसर्स डी.जे. लेबोरेट्रीज क्षेत्रफल : 3637.50 वर्गमीटर
- (3) श्री राजीव अग्निहोत्री के मालिकी हक की दूकान नं. 1, तीसरी मंजिल, दवा बाजार, 13-14, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर और उसमें किये गये समस्त निर्माण कार्य एवं समस्त फर्निचर्स व फिक्सचर्स। चतुर्सीमा : उत्तर : दूकान नं. 2, प्रकोष्ठ नं. 2, पश्चिम : पार्किंग पूर्व : सिद्धिया, दक्षिण : केफे हाउस क्षेत्रफल : 1773 वर्गफीट
- (4) श्रीमती सुनिता मिश्रा पति श्री कमल नारायण मिश्रा के मालिकी हक का प्लाट नं. 71, श्रीनगर एकस्टेंशन, इन्दौर और उसमें किये गये समस्त निर्माण कार्य एवं समस्त स्थापित फिक्सचर्स फिटिंग्स। चतुर्सीमा : उत्तर : बेकलेन, पश्चिम : प्लाट नं. 70, पूर्व : सड़क, दक्षिण : सड़क क्षेत्रफल : 3210 वर्गफीट
- (5) श्रीमती माधवी अग्निहोत्री पति श्री राजीव अग्निहोत्री के मालिकी हक का प्लेट नं. 5, श्रीनिवास अपार्टमेंट 8/2, साउथ तुकोगंज, इन्दौर और उसमें समस्त स्थापित फिक्सचर्स फिटिंग्स। चतुर्सीमा : उत्तर : प्रकोष्ठ नं. 4, पश्चिम : खुला क्षेत्र, पूर्व : खुला क्षेत्र प्रकोष्ठ नं. 3, दक्षिण : प्रकोष्ठ नं. 6 एवं 7 के पश्चात खुला क्षेत्र

स्थान : इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर,

दिनांक : 03.06.09

ओद्योगिक वित्त शाखा, इन्दौर

॥ कर्मचारी ॥



# भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, अरेरा हिल्स, भोपाल-462001 (म.प्र.)

## नियम-8(1) कब्जा नोटिस अचल सम्पत्ति हेतु

जबकि, वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एवं धारा 13 (12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम (3), के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड (माँग) सूचना पत्र दिनांक 03.02.2009, जारी किया जिसमें ऋणी मेसर्स सो. जस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को नोटिस में उल्लेखित राशि रु. 9, 13, 08, 629.69 (शब्दों में रु. नौ करोड़ तेरह लाख आठ हजार आठ सौ उन्तीस एवं पैसा उनहत्तर मात्र) एवं दिनांक 01.02.2009 से देय ब्याज एवं खर्चों सहित इस नोटिस की पाबंदी की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिये कहा गया था।

ऋणी एवं जमानतदार द्वारा राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी एवं जमानतदार और आम जनता को एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट धारा 13(4) सहपठित उक्त कथित नियम के नियम (8) के अधीन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित सम्पत्ति को दिनांक 20.01.2011 को अपने कब्जे (सांकेतिक) में ले लिया है।

ऋणी एवं जमानतदार को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत किए गये कोई भी व्यवहार भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, भोपाल (म.प्र.) के रु. 9, 13, 08, 629.69 (शब्दों में रु. नौ करोड़ तेरह लाख आठ हजार आठ सौ उन्तीस एवं पैसा उनहत्तर मात्र) की राशि और उस पर दिनांक 01.02.2009 से देय ब्याज एवं खर्चों के अध्यक्षीन भार (Charge) होगा।

### अचल सम्पत्तियों का विवरण

श्री राजीव अग्निहोत्री पुत्र श्री रमाशंकर अग्निहोत्री के नाम से 3700 वर्ग फीट का बेसमेन्ट बी-11 जो कि यश्री चैम्बर्स हन्स भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली स्थित है।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 03.03.2011

स्थान : नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा, भोपाल

### वैधानिक सूचना

ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित (Noticed) किया जाता है कि इस नोटिस के छपने की तारीख के 60 दिनों के अंदर, वे उपरोक्त राशि एवं उस पर दिनांक 01.02.2009 से देय ब्याज व खर्चों का भुगतान कर दें अन्यथा उक्त वर्णित सम्पत्तियों की नीलामी कर दी जावेगी तथा उसके बाद शेष ऋण एवं ब्याज की वसूली खर्चों सहित ऋणी एवं जमानतदारों से की जावेगी।

दिनांक : 03.03.2011

स्थान : नई दिल्ली

140

प्राधिकृत अधिकारी

Times of India 05/03/2011